ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या-01, सैक्टर-के०पी०-04,ग्रेटर नौएडा सिटी
जनपद-गौतमबुद्ध नगर,उ०प्र०.201310

पत्रांक संख्याः- ग्रे०नौ०/उद्योग/का०आ०/2017/62945
दिनांकः- 28 .11.2017

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के औद्योगिक सैक्टर इकोटेक-11 का विकास कार्य समयान्तर्गत न होने के कारण उद्यमियों की समस्याओं एवं व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत औद्योगिक विकास के हित में इकोटैक-11 के भूखण्डों की लीज डीड एवं क्रियाशील कराने का अंतिम अवसर पुनः प्रदान किये जाने जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की 110वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20.11.2017 को मद संख्या-110/12 में प्रस्तुत किया गया था।

1. कार्यालय आदेश संख्या-उद्योग/2016/74777 दिनांक 28.03.2016 को निष्प्रभावी माना जाए तथा केस टू केस परीक्षण कर निर्णय अलग से लिया जाय।
2. इकोटैक-11 के ऐसे आंबटी जिन्होंने लीजडीड अभी तक निष्पादित नही करायी है। यदि आंबटित भूखण्ड की लीज डीड दिनांक 31.01.2018 तक निष्पादित नही कराते है तो उन पर लीज डीड निष्पादित हेतु निर्गत चेकलिस्ट से 60 दिन के पश्चात से लीज डीड लीज डीड विलम्ब शुल्क आरोपित होगा। ऐसे आंवटी जो दिनांक 31.01.2018 तक लीज डीड निष्पादित करा लेते है तो उन पर लीज डीड निष्पादन की तिथि तक आरोपित लीज डीड विलम्ब शुल्क इस प्रतिबन्ध के साथ स्थगित किया जाये कि उनके द्वारा दो वर्ष के अन्दर भूखण्ड का निर्माण/क्रियाशील करने पर उक्त स्थगित विलम्ब शुल्क की छूट प्रदान की जायेगी। यदि इकाई को 2 वर्ष के अन्दर निर्माण/क्रियाशील नही करते है तो उक्त स्थगित विलम्ब शुल्क ब्याज सहित इकाई से ली जायेगी।

उक्त प्रोत्साहन सुविधा जो आंबटी दिनांक 31.01.2018 तक लीज डीड निष्पादित करायेगें, उन्ही को प्राप्त होगी। उक्तानुसार प्राविधान लीज डीड विलेख में अंकित कर दिया जाये।

उक्त आदेश प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिये निर्णय के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव को विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त/नि०/परि०) ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।
4. उप महाप्रबन्धक (उद्योग) को सूचनार्थ एवं आंवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. गार्ड फाईल।

Balkr

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी